[Shri Kazmi]

tion and that there must be some body to look after and supervise the *Mutawallis*, where is the question of any opposition? Whether the Government brings the Bill or a private Member brings it, it should not matter. Various State Governments have already enacted similar Acts. As a matter of fact, in our work we have the guidance of at least four States. The fifth one is Bombay. Everything is before us. After all, you have these various Members in the Select Committee and they can put their heads together and come to a particular conclusion.

As far as the present Bill is concerned, after drafting it, I submitted a copy to the Ministry of Law. They made some suggestions and I incorporated them. The hon. Law Minister will preside over the Select Committee and will be the guiding spirit. Anything suggested by the Select Committee will come up before the House. I myself am not in a position to give any undertaking or to say anything, but I want to say only this, that there must be some body to supervise the Wakfs and let us know the various defects pointed out by various States or individuals. We shall consider them all and if we think that it is not a workable scheme, then we will leave it; otherwise, we shall go ahead. This is all that I have to submit.

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill to provide for the better governance and administration of Muslim Wakfs and the supervision of Mutawallis' management of them, in India, be referred to a Select Committee consisting of Dr. Syed Mahmud, Shri M. Hifzur Rahman, Shri Ahmed Mohiuddin, Shri Gurmukh Singh Musafir, Pandit Krishna Chandra Sharma, Shri Hira Vallabh Tripathi, Maulana Mohammad Saeed Masuodi, Col. B. H. Zaidi, Shri Mohanlal Saksena, Chaudhuri Hyder Husain, Shri Amjad Ali, Shri Syed Ahmed, Dr. N. M. Jaisoorya, Shrimati Subhadra Joshi, Shri C. C. Biswas, Shri S. V. L. Narasimham, Shri Atma Singh Namdhari, Shri Pyare Lal Kureel Talib, and the Mover, with instructions to report by the last day of the second week of the next session."

The motion was adopted.

ORPHANAGE BILL

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : I beg to move:

"That the Bill to provide for bringing up, maintenance and education of children who have lost their parents and have no other person to look after them in proper manner, be taken into consideration."

सभापति महोदय, मैं सदन के सम्मुख एक ऐसा बिल विचार करने के लिये रख रहा हूं जिसके द्वारा इस बात का इन्तज़ाम किया जायगा कि वे बच्चे जिनके माता पिता स्वर्गवास कर गये हैं तथा जिनकी देखभाल करने के लिये संसार में कोई उचित व्यक्ति नहीं है, उनका इन्तज़ाम सरकार की तरफ से किया जाय। सदन को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि संसार में जितने देश हैं और जो सभ्य हैं, हर जगह ऐसे कानून बन चुके हैं, जहां पर इस क़िस्म के बच्चों की तालीम, शिक्षा तथा भरण पोषण के लिये इन्तज़ाम किया गया है। इंगलैंड में, अमेरिका में और बड़े बड़े मुल्कों में इस तरह के कानून मौजूद हैं जिनकी प्रतियां कुछ मेरे पास मौजूद हैं। जब तक हमारे देश का शासन अंग्रेजों के हाथ में था वह यह हालत गवारा कर सकते थे कि इस देश के बच्चे उपेक्षित रहें, क्योंकि इस देश के बच्चों की जागृति में और उन का उचित प्रबन्ध करने में उन को कोई विशेष दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। ऐसा उन के लिये तो माना जा सकता है। लेकिन जब से हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, हमने एक नया विधान बना लिया है, तो इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हमारे देश के ऐसे बच्चे जोकि बिल्कुल अनाथ हैं, जिनके भरण पोषण का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है उन का उचित प्रबन्ध किया जाय और उचित व्यवस्था की जाय। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आम तौर से देखा जाता है कि

जितने यतीमखाने हैं, और उसी तरह जितने अनाथालय हैं वह कुछ निजी लोगों के हाथ में हैं। वहां हालत यह है कि अनाथों के नाम पर एक क़िस्म का रोजगार चलाया जाता है, बाकायदा एक क़िस्म का व्यापार है। छोटे छोटे बच्चों को या तो बैंड बजाना सिखाया जाता है, या तरह तरह के गाने सिखाये जाते हैं। वह बाजारों में, ट्रेनों में, प्लैटफार्मों में, अनेक पबलिक स्थानों में गाना गा गा कर पैसे मांगते हैं। उन से जो पैसे आते हैं या धन आता है, वह यह नहीं कि इन अनाथों के फायदे के लिये खर्च किया जाय, कुछ खर्च होता है, लेकिन ज्यादातर देखने में यह आया है कि ऐसा जो भी रुपया आता है वह उन के मुन्तजिम या प्रबन्धक लोग खा जाते हैं और उन बच्चों का फायदा नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि यह कोई शोभा की बात नहीं है, हमारे देश के लिये लज्जा की बात है कि हमारे नौ निहाल बालक, जो होनहार बन सकते हैं, उन की ऐसी दशा हो।

इस वास्ते केवल अनाथालयों और यतीमखानों की बात ही नहीं है कि जिसके लिये यह व्यवस्था करने की बात मैं ने कही है, इस सम्बन्ध में और भी बातें हैं। मैं ने कई जगहों पर इस सम्बन्ध में पता लगाया। एक मर्तबा मैं तिरुपती बालाजी गया था, जोकि हमारे उपाध्यक्ष महोदय के रहने का स्थान है। वहां पर मैं ने देखा कि हजारों की तादाद में बच्चे हैं कि जो भीख मांगने की वृत्ति अपनाये हुए हैं। मैं ने देखा कि वह बनावट करते हैं, झूठी बातें करते हैं, नक़ली हाथ बनाते हैं, टूटे हाथ होते हैं और चमड़े के हाथ बना लेते हैं और कहते हैं कि हमारा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, और भिक्षा वृत्ति करते हैं। मैं ने ऐसे बच्चों से पूछा कि ऐसा क्यों करते हो तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह करते हैं और कहते हैं कि हम अन्धे हैं, हाथ पैर टूट गये हैं तो भिक्षा मिल जाती है।

एक माननीय सदस्य : बहुत से पेशेवर हैं।

श्री ऐम० ऐल० द्विवेदी : यहां पर मैं पेशेवरों की बात नहीं करता। मैं ऐसे अनाथ बच्चों की बात करता हूं जिन्होंने खुद मुझे बतलाया कि साहब हमारे माता पिता नहीं हैं, हमारे भरण पोषण का कोई इन्तज़ाम नहीं है, इसलिये हम संसार में कोई न कोई तरीक़ा भीख मांगने का अख्तियार करते हैं। इस तरीक़े से लोग हमें भीख दे देते हैं और और तरीक़े से हमें भीख नहीं मिलती। ऐसी बातें देखने में आई हैं। इस सदन के बहुत से सदस्यों ने मुझे बतलाया है कि यहां दिल्ली में छोटी छोटी बच्चियां पकड़ी जाती हैं, और उनके जरिये से ब्रोथेल्स खोले जाते हैं और ऐसी गलत तरीके की बातें होती हैं। इस में जिन साहबान को शक हो, वे स्वयं इस बात को जा कर देख सकते हैं। अभी हाल ही में पुलिस ने कुछ ऐसी लड़कियां पकड़ी हैं, जिनकी इत्तिला अखबार में निकली है।

इसी तरह से लड़कों के साथ भी अनर्थ होता है। वे पकड़ लिये जाते हैं और बोरों में बन्द कर दिये जाते हैं। सालों तक इस तरह रखे जाते हैं कि जिससे उन के हाथ पैर सिकुड़ जांय। उन को अंग भंग भी कर देते हैं, किसी विशेष अंग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, ताकि वे आयन्दा जीवन में सिर्फ उन्हीं के आश्रित रह सकें कि जिन्होंने उन को इस प्रकार रखा है और बनाया है। वह इस प्रकार उन के द्वारा व्यापार चलाते हैं, रोजगार चलाते हैं। इस प्रकार से वह भीख मांगते हैं जिससे कि लोगों को उन पर रहम आ जाय। और उस भीख से उन्हीं का ज्यादा लाभ होता है कि जिन्होंने ऐसा जुल्म उन के साथ

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

किया है, इस क़िस्म का अत्याचार उन के साथ किया है। वे ही इस से फायदा उठाते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे देश में चल रही हैं।

यही नहीं अनेकों जगहों में देखने में आया है कि जहां अनाथालय सच्चे तरीक़े से भी चल रहे हैं, ईमानदार आदमी हैं, परन्तु उन की पूछ दुनियां में बहुत कम होती है। आजकल तो तड़क भड़क की दुनिया है, अगर झूठी बातें कह दो तो दया उत्पन्न होगी और भीख मिल जाएगी। लेकिन जहां पर लोग सच्चे होते हैं, सचमुच मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं और बच्चों का भरण पोषण करना चाहते हैं उन को भीख देने के लिये रहम नहीं आता। मैं ने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो सच्चे प्रबन्धक हैं, जो वास्तव में बच्चों के भरण पोषण के कार्य को महसूस करते हैं, लेकिन उन को रुपया नहीं मिलता ऐसा ही एक स्थान महोबा में है कि जहां पर श्री रामाधार जी कार्य करते हैं। उनकी उम्र ८३ वर्ष की है। वह महात्मा गान्धी के साथ रह चुके हैं। उन के अनाथालय में २५–३० बालक हैं। वह ८३ वर्ष का बूढ़ा दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है लेकिन उन बच्चों के भरण पोषण के लिये वह सच्चाई से इन्तज़ाम नहीं कर पाता, आप ही बतलाइये कि एक अनाथालय जो गांधी जी के नाम पर चल रहा हो, उनके लिये पैसा न मिले। ऐसे ही और भी अनाथालय हैं, जहां हमारे देश के बालक हमारे देश के भावी नागरिक बनने वालों का उचित प्रबन्ध नहीं हो पाता। इस सब की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। जिन के मां बाप मौजूद हैं उन का ध्यान तो उन को रहता ही है और उनका इन्तज़ाम होता ही है। लेकिन जिनके मां बाप संसार में नहीं हैं और जिनकी मां बाप सरकार ही है, तथा जिनकी देख-भाल करने के लिये कोई और नहीं है, इनका उचित प्रबन्ध नहीं होता है तो इस में दोष किस का है ?

इसमें दोष तो हमारा है, इसलिये आवश्यकता यह है कि हमको ऐसे कानून को पास करना चाहिये। यह मेरा जो बिल है यह बहुत साधारण बिल है और मैं समझता हूं कि इस बिल को पास करके हम देश का बड़ा हित करेंगे। बिल का उद्देश्य ऐसे नौनिहालों को बचाना है जोकि गलत रास्ते पर चले जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं या वह किसी किस्म के दुराचारों में फंस जाते हैं या वह चोर या बदमाश बन जाते हैं। असल में अगर हमें इस देश में जुल्म को बन्द करना है और देश में हो रहे बुरे कामों की बन्द करना है तो हमें यह देखना चाहिये कि सबसे पहला कानून जो होना चाहिये वह बच्चों के सुधार के लिये होना चाहिये, क्योंकि जब तक किसी मकान की नींव मज़बूत नहीं होती है तब तक वह मकान अच्छा और मज़बूत नहीं बन सकता है, इसी तरह जिस मुल्क की नींव कमज़ोर होगी, वह मुल्क लड़खड़ा कर गिर जायगा। हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत से कानून बनाये जाते हैं और उनके बनाने में लोग बड़ी २ लम्बी बहसें करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि सदन के अन्दर बच्चों की तालीम व सुधार के बारे में कोई उचित कानून कभी पेश किया गया हो और यह बड़े संतोष की बात है कि मुझे ऐसे बिल को पेश करने का यहां पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस बिल पर विचार होना ज़रूरी है, लेकिन मैंने यह भी देखा कि यह जो विधान है, तो विधान के निर्माताओं ने बड़ी होशियारी के साथ विधान तैयार किया है और उसमें दो धाराएं ऐसी हैं कि जिनमें बच्चों

का कुछ जिक्र आता है । एक धारा २४ है जिसमें लिखा है :

No child below 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other employment.

The States shall endeavour within a period of ten years from the commencement of the Constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years.

तो यह दो धाराएं हमारे संविधान में मिलती हैं लेकिन इस विधान के अन्दर इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि ऐसे चौदह वर्ष के बालक जिनके माता पिता नहीं हैं और जिनका कोई प्रबन्ध करने वाला नहीं है और जिनकी जीविका का कोई साधन नहीं है, कोई काम उनको नहीं मिलता, तो वह क्या करें, सिवाय इसके कि बर्बाद हो जायं या बुरे काम में लग जायं या और तरीके अख्तियार करें और यह संयोग की ही बात है कि हमारे विधान निर्माताओं ने ऐसे असमर्थ अन्धे व लूले नागरिकों के प्रबन्ध की बात नहीं सोची, इसलिये आज सब से ज्यादा जरुरी है कि हम इस बिल को गौर करके पास करें । यह बिल पास किया जाना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उसके द्वारा अपने उन अभागे नौनिहालों का भला कर सकें और इस प्रजातंत्र की इमारत को मज़बूत बना सकें और नींव को और मज़बूत कर सकें और अपने देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकें । इसलिये यह आवश्यक है कि हम दूसरे देशों के क़ानूनों को पढ़ें और उनकी रोशनी में अपने देश की समस्याओं पर विचार करें और देश की समस्याओं पर ध्यान करते हुए ऐसा क़ानून बनाकर पास करें जिससे उन बच्चों की हालत दुरूस्त हो जाय ।

सभापति महोदय, मैं अभी तक आपका ध्यान इन अनाथ बच्चों की दशा की ओर आकर्षित कर रहा था जोकि हमारे देश में विद्यमान है । मैं आपका और सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता कि यह जो अनाथ बच्चे हमारे देश में हैं इनकी दिक्कतें आज इतनी विशाल हो गयी हैं कि अगर हम उनके सुधार करने में और देर लगायेंगे तो दशा बिगड़ती जायगी । मैंने अंग्रेजी कानून को देखा । उस में लिखा है कि जिन बच्चों की उम्र १६ वर्ष से कम है उनकी देखभाल के लिये सरकार एक लोकल अथारिटी को नियुक्त करती है और लोकल अथारिटी उन बच्चों का चार्ज ले लेती है और जो बच्चे लोकल अथारिटी के पास नहीं रहते हैं उनको मिनिस्टर आफ़ पेंशनस् के पास भेजा जाता है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कानून की हमारे देश में भी बहुत आवश्यकता है और इसको पास करने में बहुत वक्त नहीं लगना चाहिए और जल्द से जल्द इसको सदन को पास कर देना चाहिये । विधेयक विचार और पारित होने के लिये प्रस्तुत है ।

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill to provide for bringing up, maintenance and education of children who have lost their parents and have no other person to look after them in proper manner, be taken into consideration."

श्री रघुवीर सहाय (एटा जिला — उत्तरपूर्व व बदायूं जिला — पूर्व) : जो बिल अभी मेरे मित्र द्विवेदी जी ने इस भवन के सामने उपस्थित किया है, उसके उद्देश्य से मैं पूरी २ अपनी सहमति प्रकट करता हूं । इस बिल के ज़रिये वह बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं और जिनकी तालीम का कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता और जिनकी जीविका का भी कोई प्रबन्ध नहीं है उनकी निगरानी और रक्षा करने का कार्य वहां के राज्य को अपने हाथ में लेना चाहिये, इस उद्देश्य से मैं बिल्कुल सहमत

[श्री रघुबीर सहाय]

हूं। मैं यह भी मानता हूं कि आज जो हमारे यहां अनाथालय और यतीमखाने हैं वह उन लोगों के हाथ में हैं जिनको उन्हें चलाने का कोई शऊर नहीं है। ऐसी बहुत कम मिसालें हमारे मुल्क में हैं कि जहां पर यतीमखाने या अनाथालय गवर्नमेंट की ओर से चलाये जाते हैं। मेरे इल्म में सिर्फ एक ऐसी मिसाल बम्बई में चेंमूर कैम्प की जरूर है जो कि गवर्नमेंट की ओर से चलाया जा रहा है। अभी द्विवेदी जी ने उन यतीमखानों और अनाथालयों की हालत के बारे में बतलाया उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं और यह वाक्या है कि वह अच्छी तरह नहीं चलाये जाते। यू० पी० गवर्नमेंट ने दो, तीन साल हुए एक आरफ़नेज और विडोस होम कमेटी बनाई थी, श्री टंडन जी, जो इस समय भवन में मौजूद हैं, वह उस जमाने में यू० पी० असेम्बली के स्पीकर थे, और उन्हीं की मौजूदगी में ऐसी कमेटी बनायी गयी थी और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस कमेटी के मेम्बर होने का और कमेटी के एक मेम्बर की हैसियत से मुझे कई प्रान्तों में जाने का इत्तिफाक हुआ। मैं अपने तजुर्बे के बिना पर यह बात कह सकता हूं कि हमारे यू० पी० में बहुत ही कम इने गिने ऐसे अनाथालय और यतीमखाने हैं जिनकी हालत ठीक बतायी जा सकती है बाकी ज्यादातर हालत बहुत ही खराब है और वह महज उन लोगों के फायदे के लिये चलाये जाते हैं जोकि अपने को उन संस्थाओं का मैनेजर या प्रबन्ध कर्ता कहते हैं। उनके सामने कोई उद्देश्य उन बच्चों को दुरुस्त करने का नहीं है, उनके सामने कोई भी प्लान उन यतीमखानों और अनाथालयों को ठीक से चलाने का नहीं है। जिस तरीके पर यह बिल लाया गया है उसके जरिये से यह मांग की गयी है कि सरकार अपने हाथ में सभी अनाथालय और यतीमखाने जो आज चल रहे हैं उन का प्रबन्ध ले ले। मुझे इसमें बहुत दिक्कत और परेशानी मालूम पड़ती है।

7 P.M.

आज गालिबन इस सेन्टर की गवर्नमेंट के सामने भी ऐसे आंकड़े मौजूद नहीं होंगे, न मैं समझता हूं कि जिस वक्त कि यू० पी० की कमेटी बनाई गई थी उस वक्त उस के सामने वह फिगर्स मौजूद थे कि कितने अनाथ बच्चे प्रान्तों में मौजूद हैं और वह किस तरह पर बिखरे हुये हैं। अगर उन तमाम अनाथालयों को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी तो उस में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और उस के लिये बहुत ज्यादा इन्तजाम करने वालों की जरूरत पड़ेगी। यू० पी० की कमेटी ने जो खास खास सिफारिशें उस वक्त की थी, उन में से दो तीन सभापति महोदय, मैं आप की इजाजत से रखना चाहता हूं।

Mr. Chairman: Is the hon. Member likely to take long?

Shri Raghubir Sahai: Yes, Sir.

Mr. Chairman: The hon. Member may make his speech thus on the next non-official day. The House stands adjourned till 2 p. m. on the 16th March.

The House then adjourned till two of the Clock on Monday, the 16th March, 1953.